भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2436

(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

सीएसआर प्रावधानों का कार्यान्वयन

2436. श्री के. ई. प्रकाशः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु के इरोड ज़िले जैसे टियर-2 विनिर्माण केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में सीएसआर व्यय के बंटवारे के संबंध में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रावधानों के लागू होने की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उद्योग संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों या अन्य हितधारकों की ओर से कारपोरेट नियम (संशोधन) विधेयक, 2026 के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों के सीएसआर कार्यान्वयन, निवेशकों की संरक्षा और कारपोरेट शासन पर संभावित प्रभाव के बारे में कोई सुझाव या जानकारी प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का वर्तमान कारपोरेट शासन रूपरेखा के अंतर्गत सीएसआर को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने और हितधारकों के हितों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और पारदर्शिता के तरीकों को सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): जी, नहीं। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण-आधारित है तथा सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का विवरण फाइल करना अपेक्षित है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सीएसआर एक बोर्ड-संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में कंपनी द्वारा की जाने वाले सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका कार्यान्वयन करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के प्रथम परंतुक में प्रावधान है कि कंपनी उस स्थानीय क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को, जहाँ वह कार्य करती है, प्राथमिकता देगी। तथापि, स्थानीय क्षेत्र पर बल प्रकृति में केवल निदेशात्मक है, अनिवार्य नहीं और कंपनियों को स्थानीय क्षेत्र की प्राथमिकता तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होती है। सरकार किसी विशेष क्षेत्र अथवा किसी विशेष कार्यकलाप में व्यय करने के लिए कारपोरेट निकायों को कोई निदेश जारी नहीं करती है। उपर्युक्त विधिक उपबंधों के दृष्टिगत, सरकार द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट समीक्षा नहीं की गई है।

(ख): कंपनी कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 संसद में पुरःस्थापित किया जा चुका है तथा उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। कारपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग): सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण-आधारित है तथा सीएसआर के लिए अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में प्रतिवर्ष सीएसआर कार्यकलापों का विवरण फाइल करना अपेक्षित है। कंपनी के बोर्ड को कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन अपनी बोर्ड रिपोर्ट में करना अपेक्षित है। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होता है कि अनुमोदित राशि का व्यय निर्दिष्ट कार्यकलाप(यों) पर किया गया है।

सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति के निर्माण, सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना, परियोजना तथा उस क्षेत्र की पहचान जिसमें परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय का प्रमाणन तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय का लेखापरीक्षण आदि से संबंधित विद्यमान विधिक उपबंध पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र उपलब्ध कराते हैं। निगरानी तथा पारदर्शिता तंत्र से संबंधित उपर्युक्त विद्यमान विधिक उपबंधों के दृष्टिगत, किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।
